

SMS Alert के प्रभार की वसूली के लिए नोटिस दिनांक 01.04.2017 से लागू

वर्तमान में बैंक द्वारा उन सभी ग्राहकों को SMS Alert सुविधा प्रदान की जा रही है जिनके मोबाइल नंबर संबंधित खातों से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में निम्न संव्यवहारों / इवेंट के लिए बैंक द्वारा SMS भेजे जा रहे हैं :-

- शाखा स्तर पर किए जाने वाले रुपये 5000 से अधिक के सभी नामे व जमा लेन देन।
- Alternative Delivery Chanel (ADC) का प्रयोग करते हुए किए जाने वाले सभी लेन देन।
- (Internet Banking - Baroda RRB Connect, Mobile Banking, ATM, NEFT & RTGS, IMPS etc)
- समाशोधन के लिए प्रस्तुत चेक, पास किया हुआ चेक, क्लेयरिंग से return check आदि।
- विभिन्न प्रकार की जानकारी से संबंधित SMS Alerts जैसे ऋण खाते की किस्त देय होने पर, ब्याज दर में परिवर्तन होने पर आदि।
- सावधि जमाओं की परिपक्वता व स्वतः नवीनीकरण।
- Missed Call प्रत्युत्तर में भेजे जाने वाले SMS Alerts
- विभिन्न विज्ञापन संबंधित व शिक्षाप्रद SMS Alerts
- खाते में न्यूनतम शेष बनाए रखने हेतु पूर्व सूचना।
- रकम से संबंधित DBT/DBTL संव्यवहार Alerts

उक्त दिनांक से पूर्व बैंक द्वारा सभी ग्राहकों / खाताधारकों को ये सुविधाएं बिना किसी शुल्क व प्रभार के प्रदान की जा रही हैं।

इस संबंध में सभी ग्राहकों व सामान्य लोगों को यह सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा उक्त SMS सुविधाओं हेतु शुल्क प्रभारित किया जायेगा। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

- प्रभावी दिनांक - 01.04.2017
- शुल्क - बचत बैंक खाता - रुपये 15 + लागू कर / त्रैमासिक
- शुल्क - चालू खाता / नकद साख / ओवरड्राफ्ट खाता - रुपये 25 + लागू कर / त्रैमासिक

SMS Alert प्रभार की अन्य शर्तें:-

- ये सभी प्रभार (जिन खाताधारकों के मोबाइल नंबर बैंक में दर्ज हैं) त्रैमासिक आधार पर पूर्व में ही वसूल किए जायेंगे।
- निम्न वर्ग के ग्राहकों को SMS Alert प्रभार से मुक्त रखा गया है।
 - बुनयादी बचत खाता / वित्तीय समावेशन / PMJDY खातों से संबंधित ग्राहक
 - सुपर सेविंग / CA प्रीमियम / CA प्रिविलेज ग्राहक
 - स्टाफ सदस्य (मय भूतपूर्व स्टाफ सदस्य)

SMS Alert सुविधा को समाप्त करवाने हेतु संबंधित खाताधारक को खाते से संबंधित आधार शाखा में लिखित प्रार्थना पत्र प्रेषित करना होगा। नए खाताधारकों के खाते से SMS Alert सुविधा के प्रभार स्वतः ही नामे किए जायेंगे, अन्यथा ग्राहक को सुविधा का उपयोग न करने के लिए संबंधित शाखा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा।

यदि खाताधारक अगले त्रैमास के शुल्क प्रभारित होने से पूर्व ही इस सुविधा को निरस्त करवा देता है तो अगले त्रैमास से उनके खाते में प्रभार नामे नहीं किया जायेगा लेकिन वर्तमान त्रैमास के प्रभार खाते से नामे किए जायेंगे। ऐसे खाताधारक केवल उन्हीं SMS Alert को प्राप्त कर सकेंगे जोकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य है नाकि दूसरे लेनदेन / शिक्षाप्रद / जानकारी संबंधित।



